संख्या–36/1/76/का–2/2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक : 12 मार्च, 2010

विषय :– प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम–4 में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण की व्यवस्था है। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन पर प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी का काफी समय तक अभिमत प्राप्त नहीं होता है, यह स्थिति ठीक नहीं है ।

2– उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम–4 में समुचित व्यवस्था विद्यमान है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

4(1)– जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में रिपोर्ट पूर्णत: या अंशत: प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, तो उसे अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर संसूचित की जायेगी।

(2) प्रतिकूल रिपोर्ट के संसूचना के दिनांक के 45 दिन की अवधि के भीतर संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन उचित माध्यम से स्वीकर्ता/ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) प्रत्यावेदन प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के भीतर जिसने प्रतिकूल प्रविष्टि अभिलिखित की है, उसकी टीका–टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन भेजा जायेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45

दिन की अवधि के भीतर अपनी टीका–टिप्पणी सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम–3 में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका–टिप्पणी प्राप्त न हुई हो, तो टीका–टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए, या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए, सकारण आदेश पारित करेगा।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत नियमावली की उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–36/1/76/का–2/2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव।